रजिस्टर्ड ए0डी0

मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई ,2018

कमांक एफ–1(बी)102/2009/बी–4/दो,:: राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा डब्ल्यू0 पी0 611/2014 एवं डब्ल्यू0ए0 327/2017, एवं डब्ल्यू0पी0 328/2017 में पारित आदेश दिनांक 6.9.2017 के पालन में लोक सेवा आयोग, म.प्र. द्वारा मुख्य सूची निम्नलिखित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर **सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी** के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 9300–34800 + रूपये 4200 ग्रेड पे में नियुक्त कर उनके नाम के समक्ष कॉलम–3 में अंकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

स. क	उम्मीदवार का नाम	पदस्थापना का स्थान	अनुपूरक सूची के आवेदक सीट–श्रेणी
1	2	3	4
1	श्री पारस मित्तल	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सागर	**अनारक्षित** पुरूष विकलांग

2/– नियुक्त अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित समस्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

3/– नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि से संबंधित प्रकरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, म.प्र. लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1991 तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत शासित किये जायेंगे।

4/– नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोडना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन तथा भत्ते जो उस समय प्राप्त कर रहे होगें, नगद जमा करना होगा, अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भॉति उनसे वसूल की जावेगी।

5/– नवनियुक्त अधिकारी पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

6/– नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य/गलत पाई जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

7/– नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

8/— अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति संबंधित जिले के जिला अभियोजन अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

9/— प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग को आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमाक, सन 1994) उपबंधों को और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) अधिनियम की धारा—6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीदास)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग
भोपाल दिनांक 24 जुलाई, 2018

क्रमांक एफ—1(बी) 102/2009/बी—4/दो,
प्रतिलिपि :—

1 संचालक लोक अभियोजन भोपाल।
2 सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 14125/08/2009/चयन दिनांक 26.12.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश , ग्वालियर।
4 निज सचिव, मान. मंत्रीजी, गृह।
5 कलेक्टर—सागर
6 पुलिस अधीक्षक—सागर
7 जिला लोक अभियोजन अधिकारी, — सागर की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उनके मूल नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि संबंधी मूल अभिलेख की जांच कर लें तथा कार्यभार ग्रहण कराने की सूचना इस विभाग को दें।
8 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्टट, मंत्रालय, भोपाल।
9 श्री पारस मित्तल, "धरोहर" रेल्वे क्रासिंग के पास, स्टेशन रोड, नीमच (म0प्र0) को निर्देशित किया जाता है कि वे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थापना स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में मूल अभिलेखों के साथ निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जायेगी।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग